न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–43/2018

CIS No.-TS 179/2018

अनसुईया देवी..वादी

बनाम

काशी दुबे एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
24.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी शशी रंजन दुबे की तरफ से ब्यान तहरीरी स्वीकार करने हेतु एक आवेदन दिनांक 13.11.2024 को दाखिल किया गया। प्रतिवादी शशी रंजन दुबे का आवेदन आज दिनांक 24.03.2026 को आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी शशी रंजन दुबे के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में मुल प्रतिवादी सं0–01 काशी दुबे की मृत्यु के पश्चात् फिदवी प्रतिवादी का नाम प्रतिस्थापित हुआ। तत्पश्चात प्रतिवादी उक्त वाद में उपस्थित हुए। उक्त वाद में मूल प्रतिवादी सं0–01 द्वारा अन्य प्रतिवादी के साथ मिलकर अपना ब्यान तहरीरी दिनांक 04.04.2019 को दाखिल किया गया है। दिनांक 04.042019 को दाखिल ब्यान तहरीरी को ही फिदवी प्रतिवादी अंगीकृत करते है तथा निवेदन करते है कि उसी ब्यान तहरीरी को फिदवी के तरफ से ब्यान तहरीरी स्वीकार किया जाए। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दिनांक 04.04.2019 को दाखिल ब्यान तहरीरी को ही फिदवी प्रतिवादी का ब्यानतहरीरी स्वीकार करने की कृपा किया जाए। वादी के द्वारा प्रतिवादी शशी रंजन दुबे के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादी शशी रंजन दुबे की ओर से एक आवेदन दिनांक 13.11.2024 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि दिनांक 04.04.2019 को दाखिल ब्यान तहरीरी को ही फिदवी प्रतिवादी का ब्यानतहरीरी स्वीकार करने	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–43/2018

CIS No.-TS 179/2018

अनसुईया देवी..वादी

बनाम

काशी दुबे एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **24.03.2026**	की कृपा किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित प्रतिवादी शशि रंजन दुबे का आवेदन दिनांक 13.11.2024 को स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 13.05.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	